

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1550/2007

श्रीमती माधवी शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर, सह जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक के पद पर दिनांक 30.03.1988 को हुई थी। अपीलार्थी को दिनांक 22.07.1991 के द्वारा नियमित किया गया। अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 30.03.1988 से गिनी जाकर अपीलार्थी को द्वितीय एसीपी का लाभ दिनांक 01.09.2006 से स्वीकृत किया गया। बाद में आदेश दिनांक 05.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी को दिये गये द्वितीय एसीपी की दिनांक में परिवर्तन कर दिनांक को दिनांक 14.02.2009 से द्वितीय एसीपी का लाभ दिनांक 14.02.2009 से दिये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकार पूर्व में जो द्वितीय एसीपी का लाभ दिनांक 01.09.2006 को दिया गया था, बाद में उसे संशोधित कर द्वितीय एसीपी का लाभ 14.02.2009 से प्रदान किया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.03.1988 को हुई थी और उसी दिन से अपीलार्थी की सेवा की गणना की जानी चाहिए।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण राजस्थान राज्य जरिये बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी (2009) 12 एससीसी 49 में यह माना है कि Ad-hoc कर्मचारी नियमित नियुक्ति की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त आशय के आधार पर अपीलार्थी के संबंध में पारित आदेश विधि-सम्मत है। राजस्थान सरकार के वर्तमान विद्यमान नियमों की पालना में कार्मिक को 18, 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ तदर्थ नियुक्ति तिथी से न देकर नियमित नियुक्ति (स्क्रीनिंग तिथी) से देय किये जाने का प्रावधान होने से अपीलार्थी की अपील निरर्थक और सारहीन

तथ्यो पर आधारित होने तथा आदेश दिनांक 05.07.2012 तथा दिनांक 14.09.2012 विधिसम्मत होने से उक्त अपील काबिल निरस्त योग्य है। चयनित वेतनमान के लाभ संबंधित अपीलार्थी के समान प्रकृति के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा दायर खण्डपीठ याचिका 650/2016, 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम् चन्द्राराम में माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2017 की रोशनी में जारी आदेश दिनांक 05.07.2012 तथा 14.09.2012 विधिसम्मत होने से उक्त अपील काबिल निरस्त योग्य है।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा की गणना की जाकर उन्हें लाभ दिया जाये। जबकि प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अस्थायी तौर पर हुई थी। बाद में उन्हें संविक्षा द्वारा स्थायी किया गया। अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति स्क्रीनिंग के बाद दी गई। अतः उनकी नियमित नियुक्ति से उन्हें एसीपी का लाभ देय है। जिस कारण द्वितीय एसीपी दिये जाने के आदेश में संशोधन किया गया है। उनका आगे यह भी तर्क है कि **Ad-hoc** के रूप में दी गई सेवाएं एसीपी के लिए नहीं गिनी जा सकती। अपीलार्थी ने अपनी प्रथम नियुक्ति का आदेश प्रस्तुत नहीं किया है, परंतु जो स्थायीकरण का आदेश दिनांक 22.07.1991 प्रस्तुत किया गया है, उससे प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति जो दिनांक 30.03.1988 को हुई थी, वह अस्थायी नियुक्ति थी और बाद में उन्हें स्क्रीनिंग के आधार पर स्थायी किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14491/2013 में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बनाम श्रीमती इंदु शर्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2015 में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

"7. In view of the admitted factual matrix, the controversy raised herein may not detain this Court for long in the face of authoritative pronouncement on the issue by the Hon'ble Apex Court of the land in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), wherein the Hon'ble Supreme Court held that promotion has to be in the existing cadre in service. Adhoc appointment is always to a post, but not to the cadre/service and is not made in terms of recruitment rules for regular appointment. In case of ad hoc employees, stagnation is till regularization is made. The stress in the present case is on 'regular' appointment to cadre/service. The question of promotion arises only when appointment is a regular appointment. Further, appointment to

the post is not relevant; on the other hand, what is relevant is the period relatable to cadre of the service. Therefore, while reckoning the required length of service, the period of ad hoc service has to be excluded.

8. In view of the law declared by the Hon'ble Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), it is evident that the respondent-employee was not appointed in any existing cadre/service, and therefore, ad hoc/temporary appointment will not qualify to be treated as 'regular appointment'.

9. For the reasons and discussions herein above and in view of the law declared by the Hon'ble Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), the impugned order passed by the learned Tribunal cannot be sustained and has to be quashed and set aside.

10. Ordered accordingly.

11. Consequently, the writ application succeeds. The impugned order dated 11th December, 2002, is hereby quashed and set aside.

12. In view of the final adjudication on the writ application, the stay application stands closed.

13. However, in the facts and circumstances of the case, there shall be no order as to costs."

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी (2009) 12 एस.सी.सी. 49 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2009 में स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं कि चयनित वेतनमान हेतु नियमित नियुक्ति की तिथि से ही सेवा की गणना की जानी है जिसकी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में पुनः पुष्टि की है।

5. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि जो सेवाएं अपीलार्थी ने दिनांक 30.03.1988 से नियमितकरण का आदेश पारित किये जाने तक दी है, वह सेवाएं ad-hoc के रूप में की गई थी और वो सेवाएं अपीलार्थी चयनित वेतनमान और अन्य लाभ के लिए नहीं जुड़वा सकता है।

7. हम यह भी पाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम चंद्राराम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां एक बार लाभ कर्मचारी को प्रदान किया जा चुका है, वहां उस लाभ को प्रत्याहृत नहीं किया जायेगा, लेकिन भविष्य में नियमितीकरण की दिनांक से सेवा की गणना की जा सकेगी। जहां पर 9, 18 एवं 27 वर्ष का लाभ दिया गया है तो उन्हें वापस नहीं लिया जायेगा और रिकवरी नहीं की जावे। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य से यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर यह आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की भविष्य के एसीपी के लाभ के लिए नियमितीकरण की दिनांक से सेवा की गणना की जाये एवं अपीलार्थी को पूर्व में दिया गया द्वितीय एसीपी का लाभ प्रत्याहृत नहीं किया जाए। अतः अपीलार्थी के संबंध में पारित आदेश दिनांक 05.07.2012 व 14.09.2012, जिसके द्वारा एसीपी स्वीकृति के आदेश को संशोधित किया गया था, को अपास्त किया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से द्वितीय एसीपी के लाभ के संबंध में कोई वसुली नहीं की जाये। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)